**37. सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने के एक अधिकार को बाधा पहुंचाने के लिए नुकसानी एवं व्यादेश के लिए वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

अबक ........ वादी

बनाम

कखग ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप से सादर निवेदन करता है –**

1. वादी का स्थित कतिपय भूमियों पर कब्जा है और इसमें इसके पश्चात् वर्णित समय पर कब्जा था और कथित भूमियों की सिंचाई करने के लिए एक कतिपय नदी के जल के भाग को ग्रहण करने तथा प्रयोग करने का हकदार है।
2. तारीख को .............. ....................... को प्रतिवादी ने कथित नदी से ग्रहण करने एवं बाधा पहुंचाने तथा मोड़ने से प्रतिवादी को रोका।
3. वादी ने वैसा न करने के लिए प्रतिवादी से मौखिक निवेदन किया और उपर्युक्त सदोष किसी आगे दोषपूर्ण कार्य को करने से उसको स्वयमेव को रोकने हेतु तथा पहले से ही कारित किये गये उसके सदोष कार्य के लिए नुकसानी के रूप में.. ................ रुपये तथा वादी की कारित किये गये नुकसान के रूप में........................ रुपये को भी देने का अनुरोध करने वाली तारीख............... को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गयी दिनांकित..................... को एक रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिया। उसके दायित्व का प्रत्याख्यान करने वाला प्रतिवादी का उत्तर तारीख................. को वादी द्वारा प्राप्त किया गया।
4. प्रतिवादी एक स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश को जारी करने के द्वारा अवरुद्ध किया जाने और पहले से ही कारित किये गये सदोष कार्य के लिए वादी को नुकसानी तथा यथापरोक्त वादी को कारित हुई नुकसानी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।
5. वाद हेतुक इस न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर तारीख को पैदा हुआ जब प्रतिवादी ने सर्वप्रथम सदोष कार्य किया, दूसरे तारीख को जब प्रतिवादी ने वादी को नोटिस प्राप्त किया और अन्तिम तौर पर तारीख....................को जब वादी ने उसके दायित्व का प्रत्याख्यान करने वाला प्रतिवादी का उत्तर प्राप्त किया।
6. वाद का मूल्यांकन दावाकृत नुकसानी की रकम ......................... रुपये और व्यादेश जारी करने के प्रयोजनार्थ....................... रुपये पर किया जाता है और न्यायालय फीस का संदाय तदानुसार दोनों अनुतोषों पर किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी निम्नलिखित अनुतोषों का दावा करता है –

1. प्रतिवादी को कथित जल के कथित भाग को ग्रहण करने तथा उपयोग करने से किसी भी रूप में वादी को रोक करके वादी के अधिकार में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने वाला एक स्थायी व्यादेश जारी करके अवरुद्ध किया जाय। .
2. पहले से ही किये गये प्रतिवादी के सदोष कार्य के लिए नुकसानी के रूप में तथा वादी को कारित हुई नुकसानी के रूप में ............... रुपये का भुगतान।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी